उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

मुख्यालय: राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007, दूरभाष: +91 9151602229, +91 9151642229	क्षेत्रीय कार्यालय: एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201308, दूरभाष: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111

Website: www.up-rera.in, **E-mail:** contactuprera@up-rera.in,
Twitter: https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBDlV3UWtl-tGBhPVA&s=08,
Facebook: https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL,
Youtube: https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao

प्रेस नोट

लखनऊ- 30.09.2024

ई-ऑफिस के माध्यम से उ.प्र. रेरा द्वारा पूर्णतः डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाई गयी

- ई-ऑफिस प्रणाली से प्राधिकरण की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और प्रकरणों के निस्तारण में तेजी आएगी।
- प्राधिकरण की सम्पूर्ण कार्यशैली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लायी जायेगी और जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।
- अब उ.प्र. रेरा के शेष सभी कार्य भी ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किये जाएंगे।
- ई-कोर्ट प्रणाली के बाद अब उ.प्र. रेरा पूर्णतः ई-ऑफिस प्रणाली पर कार्य करेगा।

लखनऊ / गौतमबुद्धनगर: उ.प्र. रेरा में शिकायतों की फाइलिंग, पीठों में सुनवाई, आदेश जारी करने तथा आदेश अनुपालन का अनुरोध दर्ज करने की प्रक्रिया में पहले से ई-कोर्ट मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। ई-कोर्ट मॉडल में पक्षकारों को रेरा कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने घर या कार्यालय या अन्य किसी भी सुविधाजनक स्थल से सुनवाई की कार्यवाही में जुड़ सकते है और पीठ के समक्ष अपना पक्ष रख सकते है। इसके उपरांत आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी पूर्णतः डिजिटल है जहाँ शिकायतकर्ता को पोर्टल से पारित आदेश की प्रति प्राप्त हो जाती है।

ई -कोर्ट मॉडल की सफलता के बाद अब उ.प्र. रेरा द्वारा 'ई-ऑफिस प्रणाली' अपनाने के साथ पूर्णतः डिजिटल कार्य पद्धति अपनायी गयी है। प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी होने के बाद के शेष दैनिक कार्यों के लिए भी ई-ऑफिस प्रणाली अपनायी गयी है जिससे कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके और कम से कम समय में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य सम्पन्न कराया जा सके। इसका लाभ रियल एस्टेट सेक्टर के सभी हितधारकों को होगा क्योंकि सभी पत्रावलियों की डिजिटल कॉपी रिकॉर्ड के रूप में रहेगी, पत्रावलियों/फाइल्स पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में समन्वय हेतु फाइल की जरुरत नहीं पड़ेगी तथा आदेशानुसार अग्रिम स्तर की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे प्राधिकरण और समस्त हितधारकों का बहुमूल्य समय बचेगा और प्राधिकरण के समक्ष आने वाले प्रकरणों का समाधान पहले की अपेक्षा शीघ्रता से करना संभव हो जायेगा।

उ.प्र. रेरा द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायत फाइल करने और सुनवाई तक की प्रक्रिया पहले से ही ई-कोर्ट के माध्यम से की जाती है। लेकिन अब इससे आगे की सम्पूर्ण प्रक्रिया भी ई-ऑफिस की मदद से पूर्णतः डिजिटल माध्यम से

की जाएगी। इसमें प्राप्त फाइल को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करके ई ऑफिस पर पोर्ट किया जा सकेगा। फाइल पर अनुमोदन हेतु ई-ऑफिस के माध्यम से पत्रावली चलाई जा सकेगी जिससे फाइल के भौतिक रूप से लाने ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली प्रस्तुत होने पर अनुमोदन प्राप्त होते ही अग्रिम स्तर हेतु फाइल भेजी जा सकेगी और उस पर फॉलो अप की सुविधा भी प्राप्त रहेगी। क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा की पत्रावली बिना समय लगे लखनऊ कार्यालय में सक्षम स्तर के अनुमोदन हेतु प्राप्त हो जायेगी तथा अनुमोदनोपरान्त उसी दिन वापस क्षेत्रीय कार्यालय को भी वापस मिल जायेगी। इससे महत्वपूर्ण पत्रावलियों को समय से निपटाया जा सकेगा और अनुस्मारक के स्तर सिस्टम से संकेत प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार से मानवीय भूल के कारण होने वाले देरी की सम्भावना नहीं रहेगी और मामलों का निस्तारण शीघ्रता से किया जा सकेगा।

इसका सबसे ज्यादा लाभ रिफंड का इन्तजार कर रहे आवंटियों को होगा। ई-ऑफिस होने से रिफंड के मामलों में समय से नोटिस और अनुस्मारक प्रेषित किये जा सकेंगे। वसूली प्रमाण पत्र निर्गमन की कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक होगी। जिला अधिकारी द्वारा वसूल की गयी धनराशि बैंक में क्लियर होते ही रेरा पोर्टल पर अपडेट प्राप्त हो जायेगी। इसके साथ ही आवंटी को एफिडेविट के फॉर्मट के साथ सूचना प्राप्त हो जायेगी। शपथ-पत्र प्राप्त होने के बाद कम से कम समय में ई-ऑफिस के माध्यम से पत्रावली संचालित कर धनराशि आवंटी के खाते में हस्तान्तरित की जा सकेगी।

उ.प्र. रेरा अध्यक्ष श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा आज दिनांक 30.09.2024 को लखनऊ कार्यालय से कतिपय पत्रावलियों का ई-ऑफिस के माध्यम से निस्तारण करते हुए उ.प्र. रेरा में इस कार्य का शुभारम्भ किया गया। श्री भूसरेड्डी द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटियों के डाटा की सुरक्षा के साथ ही कार्य के त्वरित निस्तारण हेतु प्राधिकरण द्वारा एन.आई.सी की सुरक्षित ई-ऑफिस सेवाओं का चयन किया गया है। रेरा के समस्त हितबद्ध पक्षकारों के प्रकरणों को समय से निस्तारित करने की उ.प्र. रेरा की वचनबद्धता को उनके द्वारा दोहराया गया। कार्यक्रम में प्राधिकरण के माननीय सदस्यगण एवं अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहें।